

# निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्ठाहार, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक : 234/बा०वि०परि०/प्रशि०/2017-18

दिनांक : 23 मई, 2017

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी,

उत्तर प्रदेश।

विषय:- आई.सी.डी.एस. प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले लाभार्थियों को डी.बी.टी. (डायरेक्ट बनेफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भुगतान किये जाने के संबंध में।

कृपया <sup>अनुसूचित विषयक</sup>संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्रांक-12/35/2015-सीडी-आई, दिनांक-21.02.2017 जो प्रमुख सचिव, बाल विकास पुष्ठाहार, उ०प्र० को सम्बोधित है के द्वारा निम्नानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम को भारत सरकार के निर्देशानुसार आधार से लिंक कराए जाने हेतु निम्न प्रारूप पर साप्ताहिक सूचना प्रेषित करने के निर्देश दिए गए हैं।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र के क्रम में निम्न निर्धारित प्रारूप पर वांछित सूचना साप्ताहिक रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

## FORMAT FOR REPORTING WEEKLY PROGRESS OF DBT ONBOARDING ON SCHEMES OF MWCD

Name of State/UT:

S.No.	Name of Scheme/ Scheme Component	Type of benefit transfer	Total number of beneficiaries	No. of beneficiaries whose details have been digitised and seeded with Aadhar number	Total payment made during the year (in Rs.Cr.)	Total payment made using Aadhar seeded bank account during the year (in Rs.Cr.)	Remarks
1.	ICDS	Training Program					

23/5/17  
(आर०एन०एस० यादव)  
अपर निदेशक(प्रशा०)